भाषा के विविध रूप

बोलने के ढंग से देखा जाए तो संसार के सभी लोगों की भाषा एक सी नहीं होती अतः जितने लोग है उतनी भाषाएँ है। केवल बोलने के ढंग से ही भाषा में अंतर नहीं होता बल्कि उच्चारण और शब्द भंडार में भी अंतर देखा जा सकता है। साहित्य को पढ़ने पर शैली में अंतर दिखाई देता है। इसलिए प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की भाषा में भिन्नता नजर आती है। उसी प्रकार सुमित्रानंद पंत की और सूर्यकांत - त्रिपाठी निराला की भाषा एक जैसी नहीं है| उपर्युक्त विचारों को सामने रखकर देखा जाए तो यह स्वीकारणीय है कि भाषा के विविध रूप है। वैसे देखा जाए तो भाषा उत्पत्ति का आधार तो व्यक्ति है लेकिन उसका प्रेरक तत्त्व समाज है क्यों कि भाषा का उपयोग सामाजिक क्षेत्र के लिए किया जाता है। भाषा के कारण शिक्षा, संस्कृति, वातावरण व्यवसाय और पर्यावरण से व्यक्ति, स्थिति और कुछ मात्रा में संस्कार में भी भेद आ जाता है। उसका भाषा पर भी प्रभात पड़ता है। इन कारणों के अतिरिक्त इतिहास, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि कारणों का भी प्रभाव दिखाई देता है। भाषा के विविध रूप देखते समय इन कारणों को याद रखना अनिवार्य होगा।

समय, स्थान और व्यक्तिगत या सामाजिक कारणों से भाषा में विविध रूपता आती है। इसलिए एक ही भाषा के आधुनिक, प्राचीन, युग दिखाई देते है। संसार की भाषाओं में जो विविध रूप मिलते है, उनका वर्गीकृत परिचय तथा विश्लेषण निम्नलिखित आधारों पर देखा जा सकता है--

इतिहास के हास के आधारपर :- प्राचीन भाषा, मध्यकालिन भाषा, आधुनिक भाषा, भावी भाषा मध्यकालीन भाषा (पालि प्राकृत, अपभ्रंश) आदि रूप इतिहास पर निर्भर रहते हैं।

भूगोल को आधारपर :- स्थानिय बोली, उपबोली, बोली, विभिन्न शहरों की भाषा, उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्र की भाषा । जैसे -- ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि ।

किसी देश की भाषा जैसे-- चीनी, जापानी, फारसी अंग्रेजी आदि ।

निर्माता के आधारपर : चोर, डाकू, दलाल, दोस्तों के ग्रुप की भाषा आदि।
निर्माण आधारपर:-- कृत्रिम भाषा, सहजभाषा
प्रयोग के आधारपर :-- व्यावसायिक भाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा, बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा आदि
शुद्धता के आधारपर:-- शुद्ध भाषा, अशुद्ध भाषा, व्याकरण संमत भाषा आदि ।
श्लीलता के आधार पर :-- श्लीलभाषा, अश्लील भाषा
प्रचालन के आधारपर :-- प्रचालित भाषा, अल्पप्रचलित भाषा
मिश्रण के आधारपर :-- मिश्रीत भाषा ,अमिश्रीत भाषा
श्रवण के आधारपर :-- मधुर भाषा,कर्णकटु भाषा,कर्कश भाषा,
इनमें से कुछ प्रमुख रूपों को हम देखेंगे।

बोली

भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ होती है । भाषा के साथ तुलना करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बोली का क्षेत्र बहुत छोटा होता है। वैसे भाषा का क्षेत्र बड़ा और व्यापक होता है। वैसे तो बोली और भाषा में अंतर बतलाना कठिन है। फिर भी कुछ विशेषताओं के साथ बोली की परिभाषा इसप्रकार दी जाती है--
" एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग-अलग रूप विकसित होते है, तब उन्हें बोली कहते हैं |"
भाषा विज्ञान कोश (**Dictionney of Linquistics**) में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है--

"Popular Speech, mainly that of the illiterate Classes, Specially a local dialect of lower social status."

अर्थात् "निम्न सामाजिक स्तर के मुख्य रूप से आशक्षित वर्गो द्वारा प्रयुक्त, एक स्थान विशेष की भाषा को बोली कहते है ।"

बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा की तरह उनका विकास और व्यापक स्वरूप नहीं होता। बोली का प्रचलन अधिकतर घरेलू होता है। भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा से तुलना करने के बाद यह महसूस होता है कि बोली को अपने ध्वनि, उनके वाक्यगठन, शब्द, मुहावरे आदि कुछ भिन्न होते है। बोली केवल बातचित तक सीमित रहती है। इसमें कोई विशिष्ट साहित्य नहीं होता। उसी प्रकार धर्म, व्यापार राजनीति में भी बोली का महत्व नहीं होता। लेकिन बोली और भाषा में इतना अंतर नहीं होता कि ऐसी बोली को पडोसी समझ नहीं पायेंगे। वैसे तो बोली और और भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं होता।

"बोली भाषा की लघुतम इकाई है। विकास तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा की तुलना में अत्यत छोटा होता है। इसका प्रयोग एक परिवार में या एक सीमित क्षेत्र में होता है | रूप-रचना की दृष्टि से यह अविकसित होती है। उच्चारण में स्थानीय प्रभाव होता है। इसमें साहित्यकता अभाव होता है। हाँ! लोककथाओं या लोकगीतों की अभिव्यक्ति का माध्यम आवश्य बनती है। परंतु इस माध्यम का रूप प्रायः मौखिक ही रहता है। लिखित नहीं। परंतु आजकल बोली में भी साहित्य लिखा जाने लगा है।

व्यक्तिगत बोली

व्यक्तिगत बोली उसे कहते है जिसे एक आदमी ही बोल सकता है अतः हम कह सकते कि एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्तिगत बोली कहा जाएगा। यह एक भाषा का लघुतम रूप है। हर आदमी की व्यक्तिगत बोली अन्य लोगों से भिन्न रहती है। उदाहरण से समझा जाए तो जितने भी मराठी बोलनेवाले लोग है वे सभी मराठी ही बोलते है लेकिन हर एक के बोलने में विविधता तथा अपनी व्यक्तिगत विशेषता होती है। इस प्रकार की विशेषताएँ व्यक्तिगत विकास के कारण निर्माण हो जाती है। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत विकास के साथ यक्तिगत बोली भी परिवर्तन आ जाता है।

विभाषा अथवा उपभाषा (Dialect)

विभाषा को उपभाषा के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे Dilect कहा जाता है। विकास तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से यह बोली से बड़ी तथा भाषा से छोटी होती है। बोली ही शनैः शनैः विकसित होती हुई विभाषा का रूप ले लेती है। इस प्रकार भाषा का स्वरूप बोली की अपेक्षा अधिक विकसित तथा परिमार्जित होता है। इसका प्रयोग एक प्रांत - विशेष में होता है अथवा ऐसे भू-खण्ड में होता है जिसकी निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। एक भाषा की कई विभाषाएँ हो सकती है। इस दृष्टि से विभाषा की एक एक विशेषता ध्यातव्य है कि वह अपने शब्दों की रूप रचना उनके उच्चारण तथा प्रयोग की दृष्टि से अन्य परिष्कृत भाषाओं से भिन्न तो होती है परंतु यह भिन्नता उस सीमा का स्पर्श नहीं करती है जहाँ पहुँचकर वह एक भाषा की अन्य विभाषाओं से बिलकुल भिन्न हो जाए। अर्थात हम कह सकते है एक बोली अन्य बोलियों की अपेक्षा विकसित हो विभाषा बनती है । बोली से भाषा का विकासक्रम इस प्रकार समझा जा सकता हैं --

बोली **<** विभाषा **<**भाषा

विभाषा, भाषा की पूर्व इकाई है। जब कोई बोली धार्मिक श्रेष्ठता, भौगोलिक, विस्तार अथवा उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं के कारण समग्र प्रान्त अथवा उपप्रान्त में प्रचलित होकर साहित्यिक रूप धारण कर लेती है, तब उसे विभाषा अथवा उपभाषा की संज्ञा दी जाती है। 'भाषाविज्ञान कोष' में कहा गया है कि विभाषा अथवा डायलेक्ट किसी भाषा के उस विशिष्ट रूप को कहा जाता है, जो किसी प्रान्त विशेष अथवा सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है। जो अपने उच्चारण, व्याकरण रूप एवं शब्द-प्रयोग की दृष्टि से अन्य परिनिष्ठित एवं साहित्यिक भाषाओं से भिन्न होती है। भारत में प्रचलित ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, कन्नड़, बंगला आदि सभी विभाषा के क्षेत्र

में आती है।ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक कारणों से ही बोलियाँ साहित्यिक रूप धारण कर विभाषा की दृष्टि में आ जाती हैं ।

आदर्श या परिनिष्ठीत भाषा

जब भाषा का इतना विकास हो जाता है की उसके पास एक सुव्यवास्थित व्याकरण के साथ एक समृद्ध शब्द-भंडार भी होता है तथा उसका प्रयोग समाज का शिक्षित तथा सभ्य वर्ग अपने दैनिक प्रयोग में करने लगता है तो उसे परिष्कृत भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान कोष में इस परिष्कृत भाषा की अच्छी परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार एक भाषा की कई विभाषाओं में से उसी विभाषा को परिष्कृत भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं से व्याकराणिक,साहित्यिक और सांस्कृतिक द्रुष्टि से श्रेष्ठ होती है और उसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या अन्य साहित्यक और सांस्कृतिक द्रुष्टि से श्रेष्ठ होती है और उसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या अन्य विभाषाओं के प्रयोगकर्ताओं की संख्या से अधिक होती है ।

अपभाषा

'अपभाषा' के नाम से ही स्पष्ट है कि परिनिष्ठित एवं शिष्ठ भाषा से यह विकृत और अपभ्रष्ट होती है। यह समान्यतया उन व्यक्तियों के बिच बोली जाती है जो अल्प शिक्षित होते है। शब्दों कि दृष्टि से वाक्य रचना की दृष्टि से इसका रूप विकृत होता है। उदाहरण के लिए - " मेरे को जाना है," "मुझ पर रुपये नहीं है।" "मैं करा है।" आदि ये वाक्यरचनाएँ परिनिष्ठित नही है। असल में मुझे जाना है। मेरे पास रुपये नहीं है। मैंने किया। ऐसी वाक्यरचना होनी चाहिए।

ऊपर की विशेषताओं के साथ अपभाषा में अश्लील शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। परिनिष्ठित भाषा द्वारा अग्रहित मुहावरों आदि इस भाषा की विशेषता है।

गुप्त भाषा

गुप्त भाषा का प्रयोग कई रूपों में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों से अपने विचारों को छिपाना है जिनसे उस भाषा का प्रयोग करने वालों का कोई संबंध नहीं होता है। इस भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग सेना, गुप्तचर विभाग, चोर गिरहकटों आदि द्वारा होता है। कभी-कभी बच्चे भी मनोविनोद में इस भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम गिरहकटों द्वारा प्रयुक्त गुप्त भाषा दो शब्दों को ले सकते हैं- 'दामोदर' और नारायण - दामोदर का अर्थ इस भाषा मे यह होगा कि जिसके या फेंटे में 'दाम' या धन होगा। इसी प्रकार नारायण का अर्थ होगा नाले में चलो या नाले में है।

मनो विनोद में बच्चे भी इस भाषण का प्रयोग करते देखे जाते हैं जैसे र और फ शब्दों में डालकर इस तरह बोला जाता है - जैसे-- उसका नाम संकेत है-- इसे 'उरफुसका नारफम सरफंकेत हरफै " इस तरह बोला जाता है।

राष्ट्रभाषा

बाइबिल में बेबल के मीनार की एक कथा आती है। आदम के बेटे ने आसमान तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा मीनार बनाना चाहा। ईश्वर ने देखा कि यह लोग स्वर्ग तक पहुंचकर मेरी बराबरी करने आ रहे है। इन लोगों की एक भाषा थी और वे मिलकर काम करते ऊपर चढ़ते चले जा रहे थे। ईश्वर ने इन्हें भिन्न-भिन्न भाषाएं देकर तितर-बितर कर दिया। भाषा की विभिन्नता के कारण अब एक दूसरे की बात ही न समझ सकते थे। वे आपस में लड़ने लगे। इसी झगड़े में मीनार भी टूट फूट गया। जिस देश के लोग एक भाषा के सूत्र में बंधे रहते हैं,

उनके भाव और विचारों में एकता रहती है। भाषा की विभिन्नता के कारण राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक एकता जागृत नहीं हो सकती।

प्रत्येक उन्नत, स्वतंत्र, स्वाभिमानी देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान सभी देशों में वहाँ की व्यापक, बहुप्रचलित भाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहत होती है। आयरिश कवि टॉमस डेविस ने ठीक कहा है कि कोई राष्ट्र अपनी मातृभाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। मातृभाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वह विदेशी आक्रमण को रोकने में पर्वतों और नदियों से भी अधिक समर्थ है।

जब कोई बोली आदर्श बनने के बाद उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों आदि में होने लगता है, तो वह राष्ट्रभाषा पद पा जाती है। असल में राष्ट्रभाषा का दूसरा नाम संपर्क भाषा है। आशा यह है कि किसी देश के सभी राज्य, केंद्र तथा शेष राज्यों के साथ राष्ट्रभाषा के माध्यम से संपर्क स्थापित करते। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की अक्षय निधि होती है। वह राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक एवं राष्ट्रीय अस्मिता का मुखरित स्वर होती है। राष्ट्रीय उत्सव एवं राजनीतिक गतिविधियों में उसका स्थान आदरणीय होता है। जिस प्रकार राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय व्यक्तित्त्व, राष्ट्रीय स्मारक एवं राष्ट्रीय गौरव के प्रत्येक इतिहास एवं संस्कृति का आदर किया जाता है। उसी प्रकार राष्ट्रभाषा का स्थान भी सन्माननीय होता है। राष्ट्र में कई राष्ट्रीय भाषाएं होती है लेकिन सभी भाषा भाषियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य राष्ट्रभाषा करती है। इस दृष्टि से वह राष्ट्र की मातृभाषा होती है।

राष्ट्रभाषा की विशेषताएँ

विविध राष्ट्रीय भाषाओं में से कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो जाती है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ विद्यमान हो ---

- वह राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है।
- उसका साहित्य विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विस्तृत तथा उच्च कोटि का हो।
- उसका शब्द भंडार तथा विचार क्षेत्र व्यापक हो।
- उसका व्याकरण सरल हो।
- उसकी पाचन शक्ति अति प्रौढ़ कोटि की हो जिससे वह आवश्यकतानुसार देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से बचा सके।
- उसकी लिपि सरल हो।
- उसके साहित्य में राष्ट्रीय संस्कृति की आत्मा मुखरित हो।
- उसमें भावात्मक एकता स्थापित करने का पूर्ण सामर्थ्य हो।

अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा समूचे राष्ट्र के अधिकांश जनसामान्य द्वारा प्रयुक्त होती है। देश के अधिकतर भागों में आम लोग जिस भाषा में अपनी बातचीत, विचार विमर्श और लोक व्यवहार करते हैं, वही राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का शब्द भंडार देश की विविध बोलियां, उपभाषाओं आदि से समृद्ध होता है। उसमें प्रयोग के अनुसार नई शब्दावली जुड़ती चली जाती है।

राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। राष्ट्रभाषा में जनता की आत्मा बोलती है। समूचे देश की जनता की सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म और समाज संबंधी धारणाएँ, जीवन के विविधता पूर्ण व्यवहारिक पहलू, अलौकिक आध्यात्मिक प्रकृति या निजी और सामूहिक सुख-दुख के भाव लोक नीति संबंधी विविध विचार और दृष्टिकोण राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही साकार होते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रयोग अनौपचारिक रूप से उन्मुक्त और स्वच्छंद शैली में होता है।

राष्ट्रभाषा और राष्ट्र के समस्त सार्वजनिक स्थानों को सांस्कृतिक केंद्र, सभा स्थलों, गली-मुहल्लों, हाट बाजारों, मेला-उत्सवों में प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा में ये सभी विशेषताएँ विद्यमान होती हैं।

संपर्क भाषा

संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जो किसी देश, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच की विचार-विनिमय के माध्यम का काम करें। संपर्क भाषा उन लोगों के बीच कड़ी का काम करती है जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं। उदाहरण के लिए भारत में उड़िया भाषी, कश्मीरी भाषी, पंजाबी भाषी, गुजराती भाषी, बंगाली भाषी लोगों के आपसी विचार विमर्श के लिए कोई एक भाषा होनी चाहिए। जिससे वे एक दूसरे को समझ सके और वही

भाषा संपर्क भाषा कहलाएंगी। अंग्रेजी में ऐसी भाषा को लिंक लैंग्वेज (link Language)कहते हैं। वस्तुतः संपर्क भाषा लिंक लैंग्वेज का अनुवाद है। कुछ लोग संपर्क भाषा को राजभाषा, राष्ट्रभाषा का पर्याय समझते हैं किंतु ऐसा नहीं है। तीनों ही एक दूसरे से भिन्न है। राज भाषा का प्रयोग राजकाज के लिए होता है। इसका संबंध प्रशासन तथा अन्य कार्यालयों से होता है किंतु राष्ट्र और संपर्क भाषा संपूर्ण देश के अलग-अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती हैं।

महामति प्राणनाथ ने 17 वी सदी में लिखा है कि, " सबको अपनी जातियां, कुल की भाषा प्रिय होती है। विश्व में लाख भाषाएं हैं। मैं किन भाषा में कहूं? बिना किसी भेदभाव के सारे संसार को संबोधित करना चाहता हूं।" इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट है कि वह ऐसी भाषा चाहते हैं, जो सरल, बोधगम्य और सर्वव्यापी हो। जहाँ तक भारत का संबंध है, इस देश में उपर्युक्त कथन की पूर्ति करानेवाली एकमात्र भाषा हिंदी है। यही सब को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से एक दूसरे को मिलाने वाली संपर्क भाषा है।

भारत जैसे बहुभाषिक देश में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता की सीमा का निरूपण है और आपस में संचार प्रक्रिया सक्रिय है। उत्तर भारत में सिंध से लेकर पूर्व में आसाम तक हिंदी में ही ऐसी क्रमिक श्रृंखला है जिसमें संपर्क में किसी बिंदु पर बोधगम्यता विच्छेद नहीं होती।" इससे यह तात्पर्य है कि यदि हम एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही आसाम तक चले जाए तो कहीं भी संचार टूटने का अनुभव नहीं होता। यदि बोधगम्यता को भाषा बोली निर्धारण का आधार मान लिया जाए तो फिर संपूर्ण भारत को एक ही भाषा माननी होगी तथा वर्तमान सभी भाषाओं की संपर्क भाषा हिंदी ही होगी। यही कारण है कि पंडित नेहरू ने भी कहा था कि, एक राज्य से दूसरे राज्य को पत्र व्यवहार अथवा बोलचाल के लिए एक ही भाषा अपेक्षित है और वह है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा ही उचित और उपयुक्त संपर्क भाषा बन सकती है।

सभी औपचारिक अवस्था में हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। संत विनोबा भावे ने कहा था --" जैसे इंद्रधनुष्य में भिन्न-भिन्न रंग होते हैं। वैसे ही हिंदुस्तान में भिन्न-भिन्न भाषाएं हैं। भारत के लोगों को तीन-तीन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। इससे खूब ज्ञान मिलेगा। बुद्धि व्यापक होगी। एक दूसरे की भाषा सीखने से प्रेम बनेगा। व्यवहार सुगम होगा और हिंदुस्तान की ताकत बढ़ेगी।

भारत में तीर्थस्थानों में विशेषता चारों धामों की संपर्क भाषा हिंदी है। जैसे – अलाहाबाद, हरिद्वार आदि तीर्थस्थानों में कुंभ मेला के अवसर पर एकत्रित होने वाले लाखों भारतवासियों में हिंदी व हिंदीतर राज्यों के श्रद्धालु व्यक्ति आते हैं। उस वक्त भाषा का आदान-प्रदान स्वाभाविक ही है। उस समय हिंदी ही एकमात्र संपर्क भाषा है। वह चाहे केरल से आया हो, चाहे आसाम से आया हो या मणिपुर से। विभिन्न भाषा-भाषा हिंदी भाषा को ही वार्तालाप का माध्यम सहज ही बना लेते हैं। उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा के अवसर पर अपार जनसमुदाय संपर्क के हेतु हिंदी का प्रयोग करता है।

असंख्य पर्यटकों का विभिन्न प्रदेशों से बस से, ट्रेन से आवागमन होता रहता है। इनके मध्य एकमात्र हिंदी ही सर्वप्रिय संपर्क भाषा है। दरगाह-ए-शरीफ अजमेर में अथवा पुष्कर तीर्थ अजमेर में भारत के विभिन्न प्रदेशों से हिंदू-मुसलमान आते हैं और परस्पर वार्तालाप करते हैं। उनमें शैली भेद हो सकता है पर भाषा हिंदी है।

हिंदी के सार्वदेशिक महत्व पर विचार करते हुए समाज सुधारक तथा देशभक्तों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया है। गुजराती भाषा महर्षि दयानंद तथा महात्मा गांधी मराठी भाषी वीर सावरकर और बाल गंगाधर तिलक, बांग्ला भाषी केशवचंद्र सेन, रवींद्रनाथ टैगोर, तमिल भाषी रामगोपाल चारी, पंजाबी भाषी लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद आदि अनेक देशभक्तों ने हिंदी को ही रचनात्मक कार्यक्रमों का अंग बनाया। देश में हिंदी माध्यम का श्रीगणेश करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय ' गुरुकुल कागड़ी' हरिद्वार में स्थापित करने वाले पंजाबी भाषी स्वामी श्रद्धानंद ही थे। प्रथम हिंदी पत्रिका का प्रारंभ कोलकाता में हुआ। गुजराती भाषी दयानंद संस्कृत भाषा में अपने विचार प्रकट करते थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा ब्रज भाषा भाषी क्षेत्र में मथुरा में हुई थी। उन्होंने हिंदी सीख कर अपने विचारों का प्रसार किया। अपना अमर ग्रंथ और अन्य पुस्तकें भी हिंदी में ही लिखी क्योंकि हिंदी ही अंतर प्रांतीय संपर्क की एक मात्र भाषा थी। हिंदी अब दूरदर्शन के माध्यम से तथा अनेक एजेंसियों के माध्यम से अधिक सशक्त हो गई है। विभिन्न स्थानों पर प्रवेश पाने से उसका रूप सरल, सुगम, सुबोध और सहज होता जा रहा है। टेलीप्रिंटर के माध्यम से संचार में हिंदी की स्थिति मजबूत हुई है। कंप्यूटर द्वारा हिंदी का प्रसार-प्रचार तेजी से हो रहा है। हिंदी के चलचित्रों ने विश्व के कोने-कोने में अपनी अपूर्व कला का परिचय दिया है। अनूठी प्रगति और अद्भुत प्रसिद्धि ने हिंदी चलचित्र और विशेषतः गानों ने अपने देश

हिंदी भाषी तथा हिंदीतर भाषी प्रदेशों में ही नहीं अपितु विदेशी भाषा विदेशों में भी लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। हिंदी प्रदेश पर आधारित फिल्में सभी प्रदेशों में समझ ली जाती है। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रस्थापित करने में फिल्मों का बड़ा योगदान रहा है।

दूरदर्शन का जिक्र ऊपर हो चुका है। दूरदर्शन के हिंदी सीरियलों में 'हम लोग', रामायण, महाभारत, चाणक्य आदि ने जिस ऊंचाई तक हिंदी के स्वरूप को पहुंचा दिया है वह पृथक विषय है। यहाँ मात्र इनका संकेत पर्याप्त है कि राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए महाभारत के संवाद अमर हो गए।

दूसरा प्रसार माध्यम आकाशवाणी है। जिसके माध्यम से ध्वनि नाटकों को नवजीवन प्रदान हुआ। आज भी ग्रामीण परिवेश में आकाशवाणी का महत्व बना हुआ है।

समाचार पत्र भी संपर्क भाषा को सक्षम बना रहे है। अतः राष्ट्रपति ग्यानी झैलसिंग के शब्दों में कहा जा सकता हैं कि, " हिंदी देश की ऐसी एकमात्र भाषा है, जो देश के अधिकतर हिस्से में बोली और समझी जाती है। यही भाषा देश को जोड़ने में कड़ी का काम कर सकती है।

राजभाषा

किसी राष्ट्र के समस्त कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को राजभाषा (Official language) कहते हैं। अधिकांश देशों में राष्ट्रभाषा ही राजभाषा का दायित्व निभाती है। इसलिए कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा को एक ही समझते हैं। राष्ट्रभाषा एक व्यापक संकल्पना है और राजभाषा मात्र शासकीय व्यवहार तक सीमित संकल्पना है। राष्ट्रभाषा एक ही भाषा होती है, जबकि राजभाषाएँ एक से अधिक भी हो सकती है। प्रजातांत्रिक भारत में हिंदी संघ की राजभाषा है और अष्टम अनुसूची में उल्लेखित भाषाएं अपने-अपने प्रांत में राजभाषा के रूप में प्रयुक्त है।

हिंदी अपने जन्म काल से ही किसी न किसी रूप में प्रयुक्त हो रही थी। मोहम्मद गजनी से लेकर खिलजी, तुगलक,। मुगल सुलतानों और बादशाहों के राजकाल में भी राजकाज में हिंदी का प्रयोग होता था। मुगलों की दरबारी अर्थात राजकाज की भाषा ऊपरी तौर पर फारसी भले ही रही हो, किंतु बोलचाल की भाषा होने के कारण उस समय भी कश्मीर, पंजाब, उत्तर, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में हिंदी भाषा का विकास 'आंतर भाषा' के रूप में हुआ। ऐसी स्थिति में हिंदी के इस रुप को राजभाषा कहा जा सकता है। अकबर स्वयं हिंदी में लिखते थे। जहांगीर को हिंदी अच्छी तरह से आती थी। डॉ जॉन मार्शल ने औरंगजेब के शासन में प्रयुक्त नागरिक भाषा का उल्लेख किया है। मराठा प्रशासन में हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप में मिलता है। 19 वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ-साथ जब मराठों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, उन्होंने राजस्थान और पंजाब पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास में उत्तर के प्रयाग काशी तक भी अपना शासन फैलाया। ऐसी स्थिति में मराठा राजाओं, पेशवाओं और सरदारों को हिंदी को अपने राजकाज की भाषा बनाना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो इसके पूर्व ही 'राजकोष' बनवाया था।

ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का अधिपत्य हो जाने पर प्रारंभ में राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनी राजभाषा संबंधी नीति को यथावत रखा जिसके परिणामस्वरूप वे तत्कालीन देशी प्रशासकों, प्रजा, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि के संपर्क में आए और उसके मन में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कर सकें। बाद में अंग्रेजों ने तोड़फोड़ की नीति अपनाकर हिंदी, उर्दू विवाद खड़ा किया लेकिन अंततः हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिल गई।

संदर्भ ग्रंथ –

1) भोलानाथ तिवारी, हिंदी भाषा,किताब महलएजेंसीज पटना, संस्करण- 2002
2) देवेन्द्रनाथ शर्मा,दीप्ति शर्मा, भाषा विज्ञान की भूमिका, राधाकृष्ण प्रकाशन,दिल्ली, संस्करण 2001
3) डॉ. मिथिलेश शर्मा और अन्य भाषा के विविध रूप और संचार माध्यम,विनय प्रकाशन अहमदाबाद, संस्करण 2003

By Dr. Sangita Chitrakoti